रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-166/2026/2298/22-2-2025-17(226)/2025
लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोती यादव (बन्दी सं0-296/2009) पुत्र श्री जगदेव यादव, जो ग्राम-मिश्रौली, थाना-मधुबन, जनपद-मऊ, हाल पता-गाँधी मैदान के पीछे शिवा पार्क, रेनूकूट, थाना-पिपरी, जनपद-सोनभद्र का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-26/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302, 342 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी, सोनभद्र के दण्डादेश दिनांक 25.03.2009 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.11.2009 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 06.10.2025 तक अपरिहार 15 वर्ष, 08 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 07 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-166/2026/2298(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मऊ/सोनभद्र।
3- पुलिस अधीक्षक, मऊ/सोनभद्र।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in